राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15082/2021

1. अंजलि पाटीदार पुत्री श्री भोगी लाल पाटीदार, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट करावाड़ा, तहसील झोंथरी, जिला डूंगरपुर, राजस्थान।
2. जिलेश कलाल पुत्र श्री शांति लाल कलाल, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट वरदा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर, राजस्थान।
3. प्रवीण भगोरा पुत्र श्री वालजी भगोरा, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट ठीकरिया, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान।
4. विनय रावत पुत्र श्री नाकू सिंह रावत, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 7, ग्राम रावतसाथ, पोस्ट मछरासाथ, सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान।
5. भरत कुम्हार पुत्र श्री धूलजी कुम्हार, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट टामटिया, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर, राजस्थान।

----अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
2. प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर, राजस्थान।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा और पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा), बीकानेर, राजस्थान।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर, राजस्थान।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री एच.एस. सिद्धू

श्री प्रदीप सिंह खोसा

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री सरवन कुमार

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश (मौखिक)</u>

<u>16/04/2024</u>

1. याचिकाकर्ताओं ने अन्य बातों के साथ-साथ 12.10.2021 के आदेश (अनुलग्नक 09) को रद्द करने की मांग की है, जिसके तहत केवल 30 पदों के लिए आरक्षित सूची जारी की गई थी, न कि शिक्षकों के शेष रिक्त पदों के लिए। इसके अलावा, वे प्रतिवादियों को उनके द्वारा जारी आरक्षित सूची को संचालित करने से रोकने और 11.09.2017 के विज्ञापन के अनुसार विज्ञान-गणित स्तर के विषय के लिए शेष रिक्त पदों यानी 340 के लिए नए सिरे से आरक्षित सूची जारी करने का निर्देश देने की मांग करते हैं।

2. याचिका में प्रस्तुत प्रासंगिक तथ्य यह है कि राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल-2) सीधी भर्ती-2016 (संशोधित) के लिए टीएसपी क्षेत्र हेतु दिनांक 11.09.2017 को विज्ञापन जारी किया गया था।

2.1 याचिकाकर्ताओं ने पात्र होने के साथ-साथ अपेक्षित योग्यता रखते हुए तथा टीएसपी क्षेत्र के निवासी होने के कारण विज्ञान-गणित विषय के लिए अध्यापक ग्रेड-III, लेवल-II के पद हेतु अपनी-अपनी श्रेणियों में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत किए।

2.2. दिनांक 18.10.2017 को प्रतिवादी निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर ने प्रोविजनल रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची के साथ कट-ऑफ अंक जारी किए। याचिकाकर्ताओं के नाम उक्त सूची में नहीं थे।

2.3. याचिकाकर्ताओं को पता चला कि इसी प्रकार की स्थिति वाले एक अभ्यर्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन किया था, जिसके माध्यम से उन्हें बताया गया कि दिनांक 15.07.2020 तक शिक्षक ग्रेड-III, लेवल-II, विषय विज्ञान-गणित के कुल 785 विज्ञापित पदों में से 340 पद अभी भी रिक्त हैं।

2.4 व्यथित होकर याचिकाकर्ता संख्या 2 ने एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9706/2020 "जिलेश कलाल बनाम राज. राज्य एवं अन्य" शीर्षक से दायर की। जिसका दिनांक 20.09.2021 के आदेश द्वारा निस्तारण किया गया। जिसके अनुसरण में प्रतिवादी अधिकारियों ने दिनांक 12.10.2021 को एक कार्यालय आदेश जारी किया, जिसके तहत पदों के न भरे जाने के बावजूद केवल 30 उम्मीदवारों के

लिए कट-ऑफ अंक और प्रतीक्षा सूची जारी की गई। इसलिए, तत्काल रिट याचिका।

3. जवाब में बचाव पक्ष ने कहा कि याचिका न केवल समय से पहले बल्कि केवल आरटीआई सूचना के आधार पर दायर की गई है, जो जुलाई, 2021 तक उपलब्ध कराई गई थी, जब सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया अभी भी चल रही थी। चूंकि आरटीआई सूचना से पता चला है कि 340 पद रिक्त पड़े हैं, इसलिए याचिकाकर्ता यह मानने में गुमराह हो गए कि प्रतीक्षा सूची चालू नहीं होने के कारण सीटें खाली रह गई हैं। पूरी धारणा गलत है और इसलिए रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

4. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुना है, केस फाइल का अवलोकन किया है और मैं तत्काल आदेश के अगले भाग में इसके कारणों को दर्ज करके अपनी राय देने के लिए आगे बढ़ूंगा।

5. इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा जिस आरटीआई सूचना पर भरोसा किया गया है, जो एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से प्राप्त की गई है, जो मुकदमे का पक्षकार नहीं है, यह दर्शाता है कि आरटीआई सूचना प्रदान करने की तिथि तक 340 पद वास्तव में रिक्त थे। हालाँकि, उक्त सूचना को पूर्ण सार के रूप में उपयोग में नहीं लाया जा सकता है और उत्तरदाताओं द्वारा दायर अपने उत्तर में लिए गए स्पष्ट रुख के आलोक में तर्कसंगत रूप से निपटा जाना चाहिए, जिसमें विज्ञापित पदों, भरे गए पदों और खाली पड़े पदों के विस्तृत आँकड़े दिए गए हैं।

6. त्वरित संदर्भ के लिए, 22.11.2021 यानी इस न्यायालय के समक्ष हलफनामा दाखिल करने की तिथि तक भरे गए पदों और रिक्त पड़े पदों को दर्शाने वाला चार्ट नीचे दिया गया है:-

Classification of posts		General		SC		ST	
		General	Female	General	Female	General	Female
Total Post	785	279	116	28	10	248	104
Total selection	796	284	123	28	9	248	104
Total joined	751	269	109	26	8	237	102
Remain Post	34	10	7	2	2	11	2
Selection Post	30	10	7	0	0	11	2
Backlog Post	0	0	0	2	2	0	0

7. प्रतिवादियों द्वारा शपथ पर रिक्तियों की उपरोक्त स्थिति बताई गई है और इस न्यायालय के पास इस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि आरटीआई सूचना प्रदान करने और उसके बाद आरटीआई सूचना प्रदान करने के समय चल रही चयन प्रक्रिया के बीच, 34 को छोड़कर शेष रिक्त पद विधिवत भरे गए थे, जैसा कि ऊपर दिए गए चार्ट में दर्शाया गया है।

8. इसके अलावा, याचिका के जवाब में प्रतिवादियों द्वारा लिया गया एक स्पष्ट रुख यह है कि याचिकाकर्ताओं ने एक पुरानी और घिसी-पिटी सूचना के आधार पर रिट याचिका दायर की है, जो उन्हें सूचना मांगने की तिथि पर आरटीआई के तहत दी गई थी। इसलिए, उक्त सूचना पूरी तरह से निरर्थक है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

9. मेरा मानना है कि प्रतिवादियों ने सही ढंग से यह रुख अपनाया है कि याचिकाकर्ताओं ने तीसरे पक्ष को दी गई सूचना को पर्याप्त रूप से समझे बिना ही इस न्यायालय के समक्ष तत्काल याचिका दायर करने की जल्दबाजी की है।

10. मैं पूर्वोक्त रुख को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हूं।

11. प्रतीक्षा सूची के परिचालन के संबंध में, दोनों विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा सहमत स्थिति यह है कि इस न्यायालय द्वारा एक अन्य संपार्श्विक कार्यवाही में पारित आदेशों के अनुसरण में, उस पर विधिवत कार्रवाई की गई और कट-ऑफ अंकों के अनुसार मेधावी उम्मीदवारों को उनके प्रदर्शन का लाभ दिया गया है और उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं।

12. अंत में, मैं यह जोड़ना चाहूंगा कि पैरा-10 में दिए गए उत्तर में निहित जानकारी के संबंध में, 27.06.2022 को, इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने, तब मामले को अपने अंतर्गत लिया था, और निम्नलिखित आदेश पारित किया था:

> "एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 16387/2021 से अलग। याचिकाकर्ताओं का तर्क यह है कि यद्यपि प्रतिवादियों ने कुल 339 रिक्त पदों का संकेत दिया है, उन्होंने केवल 34 पदों के लिए प्रतीक्षा सूची जारी की है, जो सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रतिवादियों द्वारा स्वयं किए गए खुलासे और राज्य विधानमंडल के समक्ष मुख्य प्रश्न के जवाब के विपरीत है।
>
> रिट याचिका पर विस्तृत जवाब दस्तावेजों के साथ दायर किया गया है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि रिक्त पद

339 नहीं बल्कि याचिकाकर्ताओं की श्रेणी में केवल 34 हैं और दी गई जानकारी एक विशेष तिथि से संबंधित थी, जो तिथि दस्तावेज (अनुलग्नक 6) और प्रत्युत्तर के साथ दायर दस्तावेज में भी उपलब्ध नहीं है।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील हलफनामा और/या सामग्री दाखिल करने के लिए समय मांगते हैं, ताकि यह संकेत दिया जा सके कि केवल 34 रिक्त पदों को इंगित करने वाले उत्तर के साथ दायर सामग्री तथ्यात्मक रूप से गलत है।

अगली तारीख तक आवश्यक कार्य किया जा सकता है। 25.7.2022 को सूचीबद्ध करें।"

13. आज पुनः शुरू हुई सुनवाई में, प्रति-शपथपत्र में बताई गई रिक्तियों की स्थिति का खंडन करने के लिए आज तक कोई और जानकारी रिकॉर्ड पर नहीं रखी गई है।

14. मामले का एक अन्य पहलू भी है, जिसे प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के संज्ञान में लाया गया है, जो दर्शाता है कि न केवल प्रश्नगत विज्ञापन के अनुसार कोई रिक्तियां खाली नहीं हैं, बल्कि उसके बाद भविष्य की रिक्तियों के लिए नए विज्ञापन भी जारी किए गए हैं, जो पहले के विज्ञापन के माध्यम से शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया के बाद उत्पन्न हुई थीं।

15. यह प्रस्तुत किया गया है कि बाद की चयन प्रक्रिया भी अंतिम परिणति के चरण में है। तर्क यह है कि इसलिए, इस स्तर पर, या तो अदालत के आदेश के माध्यम से और/या कट-ऑफ अंकों में छूट देने के लिए कोई निर्देश जारी करके, पहले की चयन प्रक्रिया की प्रतीक्षा सूची को प्रभावी करना अत्यधिक अनुचित और अन्यायपूर्ण होगा।

16. मैं प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तर्कों से सहमत हूँ।

17. परिणामस्वरूप, हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

18. खारिज की जाती है।

19. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।